

नगर आयुक्त महोदय,

कृपया अवगत होना चाहें कि नगर निगम आगरा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राजकीय पेंशनरों की भांति सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने हेतु 30 मार्च 1996 के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित गजट में निम्न व्यवस्था की गयी है। (संलग्नक-1)

“राज्य सरकार द्वारा जब-जब सरकारी सेवकों की पेन्शन/पारिवारिक पेंशन, उपादान के न्यूनतम/अधिकतम निर्धारण, मूल वेतन, मंहगाई वेतन, अन्तरिम राहत मंहगाई राहत के सम्बन्ध में जो भी आदेश पारित किये जायेंगे वे प्रशासक /मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से उसी तिथि से प्रभावी होंगे और प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के ऐसे आदेश आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्त सुविधा (रिटायरमेंट बेनिफिट) विनियम 1962 का भाग समझे जायेंगे। जिन मामलों में उक्त अधिनियम मौन होंगे उन मामलों में राज्य सरकार के पेंशनरों के लिये जारी आदेश प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी हो सकेंगे। उपर्युक्त संशोधनों की दिनांक 12 अक्टूबर 1995 को पुष्टि की जा चुकी है।”

उपरोक्त गजटीय व्यवस्था के उपरान्त भी पेंशन सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन नगर निगम आगरा में नहीं हो पा रहा है। इस कारण एक ओर सेवा निवृत्त निगम के कर्मचारियों को पेंशनरी लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं साथ ही बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशनरी लाभों के लिए माननीय उच्च न्यायालय जाकर वाद दायर करने को विवश हैं। इन वादों की पैरवी हेतु नगर निगम आगरा को अनावश्यक व्यय भार वहन करना पड़ रहा है। अतः इस प्रकार की अप्रिय एवं अहितकर स्थितियां उत्पन्न न हो तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके समस्त पेंशनरी लाभ समय से प्राप्त हो सके इस हेतु निम्न वर्णित शासनादेशों का लाभ नगर निगम के पेंशनरों को दिये जाने के लिये महोदय की स्वीकृति अपेक्षित है।

1- सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को मंहगाई राहत शासनादेश संख्या-7/2016-सा-3-180/दस-2016-308 (06)/2000 दिनांक 17 मार्च 2016 (संलग्नक-2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं तथा इस कारण उनकी पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, को तात्कालिक प्रभाव से वेतन पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य होगा किन्तु इसके अधीन किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा, के आदेश दिये गये हैं। किन्तु नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को इसका लाभ नहीं दिया गया है। उक्त शासनादेश का लाभ आगरा नगर निगम में लागू किया जाना नियम संगत है

146/D/12/25

07-12-25

1263/NA/CD
20/12/24

संख्या- 496 /9-1-2024-1847562

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 11 दिसम्बर, 2024

विषय: दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उ०प्र० राज्य के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी०सी०-4767/4324पें०/24-3339, दिनांक 01.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024, दिनांक 12 जून 2024 द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोंपरात यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय। दिनांक 01 जुलाई को वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गयी है। अतः इन-आदेशों से वे कार्मिक भी नगर निगम, आगरा आच्छादित होंगे जो दिनांक 01.01.2006 के उपरांत परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व सम्बंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 के उपरांत परन्तु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिकों पर भी लागू होगी जो सम्बंधित वर्ष 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी, से संबंधित राज्य सरकार के कार्मिकों पर लागू की गयी है। अतः मा० उच्च न्यायालय एवं

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा
20/12/24

श्रीमती लपना

सुटमित करें; राशि राशि दें।
(12.6.24 से आदि 30/12/24)

संख्या-²⁴⁸¹/9-1-2023-281 सा/2018/1480805

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ० प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 11 दिसम्बर, 2023

विषय: वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-पी० सी०/4122/5/मिस.ले./2020, दिनांक 14.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से संशोधित किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-63/2016-वे० अ०-2-2644/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-67/2016/वे० अ०-02-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 के क्रम में स्थानीय निकाय तथा जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के संबंध में वित्त विभाग की सहमति के आलोक में सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त उक्त व्यवस्था को अंगीकृत करते हुए शासनादेश संख्या-3409/9-1-17-194 सा/2016, दिनांक 04.01.2017 निर्गत किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि वेतन समिति 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन के भाग-1 में नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड/ग्रेड वेतन की स्वीकृति के संबंध में संकल्प दिनांक 07.02.2009 के प्रस्तर-5 के नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को राजकीय कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सादृश्य पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्धारित व्यवस्था के क्रम में नगर विकास अनुभाग-6 से निर्गत शासनादेश संख्या-1615/9-6-2009-4(15)/2009, दिनांक 15.06.2009 द्वारा यह व्यवस्था अनुमन्य की गयी

AAO

13/12

Remin
X

599/NAI

13/8/

54/R/ANNAI

14/9/2021

202/R/HO/21

15/09/21

संख्या 548/9.1.2021-260सा/2018

269

प्रेषक,

डा रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

A.N.A-I

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2021

विषय: नगरीय स्थानीय निकायों के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपादान/मृत्यु उपादान तथा सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28. मार्च 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायतशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिसमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशनयोजना की भांति पेंशन योजना लागू थी, में दिनांक 1, अप्रैल, 2005 से समस्त नई भर्तियों पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गयी है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय नगरीय निकायों के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त/विनियमित नये प्रवेशकों, जिसका वित्त पोषण नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा किया जाता है, पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के संबंध में नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-1-19-260सा/2018 दिनांक 17.07.2019 निर्गत किया गया है।

2. दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपादान और मृत्यु उपादान की अनुमन्यता के संबंध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17/दस-2016-309(9)/2011 दिनांक 06.10.2016 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में यह उल्लेख है कि यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होगा, जिसमें दिनांक 01.04.2005 के पूर्व राज्य सरकार की पेंशन योजना की भांति पेंशन लागू थी, और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य थे। यह आदेश दिनांक 01.04.2005 से लागू माना जायेगा।

3. राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायतशासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-23/2016-सा-3-474/दस-309(09)/एस0ए0बी0/2011 दिनांक 05.07.2016 निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे किसी कार्मिक की मृत्यु यदि उसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने, पंजीकरण हो जाने, अथवा

30/08/

संख्या-23/2016-सा-3-474/दस-2016-301(09)/एस0ए0बी0/2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 05 जुलाई, 2016

विषय:- राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशाली संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभ।

महोदय,

शासन से यह जिज्ञासा की जा रही है कि उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सा-3-1613/दस-2011-301(09)/2011, दिनांक 05-12-2011, संख्या-13/सा-3-393/दस-2014-301(23)/2014, दिनांक 31-10-2014, अधिसूचना संख्या-21/2015/सा-3-1038/दस-2015-301(09)/2011, दिनांक 06-11-2015 तथा शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(09)/2011, दिनांक 19-05-2016 राज्य सरकार से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशाली संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में लागू होंगे अथवा नहीं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रदेश में लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28-03-2005 राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित ऐसी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशाली संस्थाओं जिन में दिनांक 01-04-2005 के पूर्व राज्य सरकार की भौति पेंशन योजना लागू थी, की सेवा में दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त नवनीयुक्त कार्मिकों पर समान रूप से लागू है। अतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित उपर्युक्त समस्त शासनादेश जो सरकारी कर्मचारियों के संबंध में निर्गत किये गये हैं, उपरि संदर्भित संस्थाओं के कार्मिकों पर समान रूप से लागू होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे किसी कार्मिक की मृत्यु यदि उसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु आवेदन

--2--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किये जाने/पंजीकरण हो जाने अथवा RETURN अर्पित हो जाने के पूरे प्रयास के बाद भी कोई अविधान किये हो जाती है तो भी ऐसे मामलों के अन्तिम को अंतिम करारों तक अनुमत्त होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

प्रदेश,
नौक सचिव
विशेष सचिव।

संख्या-23/2015-स-2-474/दस-2015-301(09)/एसएसबी/2011, तल्लिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं अवगत्य कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महासचिव (सेवा एवं हक्कदार) प्रत्यक्ष/द्वितीय, जज, इलाहाबाद।
- 2- जज निर्देशक, द्वितीय सांख्यिकीय निर्देशालय, प्रत्यक्ष तल्लिक, जज, इलाहाबाद।
- 3- सचिव सचल जज निर्देशक कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 4- निर्देशक, पेंशन निर्देशालय, 8 यौ तल्लिक इन्चि, प्रत्यक्ष सचल जज।
- 5- चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर, एसएसबी/एसएसबी इन्चि नई दिल्ली।
- 6- एक्जिक्यूटिव वार्ड प्रेसिडेंट, एसएसबी/एसएसबी, मुम्बई।
- 7- चीफ जनरल मैनेजर, एसएसबी/एसएसबी, नई दिल्ली।
- 8- द्वितीय निर्देशक, बालिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 9- द्वितीय निर्देशक, उच्च शिक्षा, सचल जज।
- 10- वार्ड फाइल।

अथवा मे,
नौक सचिव
विशेष सचिव।

2- यह जानकारी प्रेषित करने के लिए यथा है, जज, एसएसबी/एसएसबी को अवगत्य कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
2- यह जानकारी प्रेषित करने के लिए यथा है, जज, एसएसबी/एसएसबी को अवगत्य कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

किये जाने/पंजीकरण हो जाने अथवा PRAN आवंटित हो जाने के पूर्व अथवा उपरान्त बिना कोई अभिदान किये हो जाती है तो भी ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को उपर्युक्त शासनादेशों का लाभ अनुमन्य होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-23/2016-सा-3-474/दस-2016-301(09)/एस0ए0बी0/2011. तद्विनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
 - 2- अपर निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
 - 4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8 वॉ तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
 - 5- चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर, एन0पी0एस0 ट्रस्ट, नई दिल्ली।
 - 6- एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसीडेंट, एन0एस0डी0एल0, मुम्बई।
 - 7- चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।
 - 8- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
 - 9- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, लखनऊ।
 - 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

आक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
नियमित की जा सकती है।

संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17/दस-2016-301(9)2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 ✓

विषय:- दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अनुमन्यता।

महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट/विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/आसाधारण पेंशन एवं उपदान की सुविधा अन्तरिम रूप से शासनादेश संख्या- सा-3-1613/दस-2011-301(9)/2011, दिनांक 05.12.2011 द्वारा अनुमन्य की गयी थी। इसके उपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी हेतु शासनादेश संख्या-13/सा-3-393/दस-2014-301(23)/2014, दिनांक 31.10.2014, अधिसूचना संख्या-21/2015/सा-3-1038/दस-2016-301(9)/2011, दिनांक 06.11.2015 एवं शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(9)/2011, दिनांक 19.05.2016 निर्गत किये गये।

2- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी. डब्लू(एफ)/बी, दिनांक 26.08.2016 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिये लागू नियम और शर्तों पर "सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान" का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय जाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी.डब्लू(एफ)/बी, दिनांक 26.08.2016 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ उत्तर प्रदेश रिटायर्मेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (यथासंशोधित) से आच्छादित कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य होगा। यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनमें दिनांक 01.04.2005 के पूर्व राज्य सरकार की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य थे।

4- यह आदेश दिनांक 01.04.2005 से प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17(1)/दस-2016.तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 50प्र0, इलाहाबाद।
- 2- सी0ई0ओ0, पेंशन फण्ड रेग्युलेटरी एण्ड डेवलेपमेण्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली।
- 3- श्री चन्द्रशेखर तिलक, एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसिडेन्ट, एन0एस0डी0एल मुम्बई।
- 4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 29, 2018/चैत्र 8, 1940 (शक)
No. 16] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2018/CHAITRA 8, 1940 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 29th March, 2018/Chaitra 8, 1940 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 28th March, 2018, and is hereby published for general information:—

THE PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) ACT, 2018

No. 12 of 2018

[28th March, 2018.]

An Act further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

- (1) This Act may be called the Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. In the Payment of Gratuity Act, 1972 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:— Amendment of section 2.

(k) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notified" shall be construed accordingly;.
3. In section 2A of the principal Act, in sub-section (2), in the Explanation, in clause (iv), for the words "twelve weeks", the words "such period as may be notified by the Central Government from time to time" shall be substituted. Amendment of section 2A.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

लखनऊ, बुधवार, 30 मार्च, 1996 ई० (चैत्र 10, 1918 शक ईसवी)

भाग 8

सरकारी गजट-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि

सूचना

आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेंनीफिट) विनियम, 1962 में शासनादेश संख्या 505-ए/9-7-1995-3 के (38)-75, दिनांक 22 मई, 1995 के अनुसार उपरोक्त विनियमावली, जो कि आगरा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 548 (1) (एफ) के अन्तर्गत निर्मित एवं संशोधित की गयी है, में प्रस्तावित निम्न संशोधन अधिनियम की धारा 548 (3) के अन्तर्गत शासकीय गजट में एतद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। ये संशोधन 1 नवम्बर, 1995 से प्रभावी होंगे।

वर्तमान नियम

(1) इन विनियमों का नाम आगरा नगर महा-नगर कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेंनीफिट) विनियम, 1962 होगा।

(2) (1) अधिनियम (अथवा ऐक्ट) से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (ऐक्ट 2, 1959)।

(9) स्पष्टीकरण—

विनियम 2 (9) में निहित स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का तात्पर्य है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा 20 वर्ष की अहंकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति चाहता है उसके 3 माह पूर्व से उसे

प्रस्तावित संशोधन

1—(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेंनीफिट), 1962 कहा जायेगा।

2—(1) अधिनियम को अब उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यू० पी० अधिनियम 2 सन् 1959) कहा जायेगा।

2—(9) स्पष्टीकरण—

विनियम 2 (9) में निहित स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का तात्पर्य है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा 20 वर्ष की अहंकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति चाहता है उसके

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/ 2016/ वे0आ0-2-2643/ दस-04(एम)/ 2016 दिनांक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/ दिवंगत सरकारी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशनस द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/ दस-923/ 85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके हैं, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नगर निगम, आगरा

संख्या 447/डी/ए० भी०/००/बी,

दिनांक 5 मार्च, 1999 ई०

आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेंनीफिट) विनियम, 1962, जो आदेशमा संशोधनों सहित 30 मार्च, 1995 के सरकारी गजट में प्रकाशित हुई थी, में नगर निगम अधिनियम, 1959 का धारा 54B(1)(च) के अंतर्गत निम्न संशोधन, अन्य विनियमों के सम्पादन रहते हुए प्रकाशित किये जाते हैं—

वर्तमान विनियम

1—(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेंनीफिट), 1962 कहा जायेगा।

प्रस्तावित संशोधन

1—(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेंनीफिट) विनियम, 1962 होगा।

2—(2) द्वितीय प्रतिबंध यह है कि उन विनियमों में औसत परिलक्षियों की वह ही उपयुक्त परिभाषा लागू होगी जिसे समय-समय पर राज्य सरकार अपने पेंशनरों के लिए परिभाषित करे।

4—(2) डेक्कन (रिटायरमेंट प्रेन्चुडी) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपपादान :

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को, जिन्होंने उपपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपपादान दिया जायेगा (यह वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपपादान सहित प्रेन्चुडी देय होगी) उसका दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आठ माह की परिलक्षियों के बराबर होगी। मृत्यु उपपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को मृत्यु उपपादान अनुमय होगा, जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलक्षियों का दो गुना, एक से अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम की सेवा पर परिलक्षियों का छः गुना, पांच से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा पर परिलक्षियों का बारह गुना, बीस वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलक्षियों के अधिक के बराबर-बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलक्षियों के 33 (तेत्तीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि कोई साफ रूप से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपपादान का गुणता किया जायेगा।

0 (2) (क) अधिकतम धनराशि 1250/-प्रतिमाह होगा। धनराशि धनराशि 375.00 होगी।

4—(3) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपपादान (डेक्कन-रिटायरमेंट) प्रेन्चुडी :

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को जिन्होंने उपपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपपादान दिया जायेगा (यह वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपपादान सहित प्रेन्चुडी) देय होगी उसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आठ माह की परिलक्षियों के बराबर होगी। मृत्यु उपपादान सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को मृत्यु उपपादान अनुमय होगा जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलक्षियों का दो गुना एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम सेवा पर परिलक्षियों का छः गुना, पांच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा पर परिलक्षियों का बारह गुना, बीस वर्ष अथवा उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलक्षियों के अधिक के बराबर-बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलक्षियों के 33 (तेत्तीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि कोई साफ रूप से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपपादान का गुणता किया जायेगा।

0 (3) (क) पारिवारिक सेवानिवृत्ति धनराशि (पेंशन) की अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिमाह यह धनराशि होगी जो राज्य सरकार अपने पारिवारिक पेंशनरों के लिए समय-समय पर निर्धारित करे।

111

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त/सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-सा-3 जी.आई.-28/दस-2008
लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2009
कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि पत्र

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि-

(1) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1500/दस-2008-300/97, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर-4 (2) एवं 4(4) के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 01-01-2006 से 07-12-2008 के मध्य 33 वर्ष की आर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो कार्मिक दिनांक 01-01-2006 से दिनांक 07-12-2008 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हों परन्तु उनकी आर्हकारी सेवा 33 वर्ष की पूर्ण नहीं होती है उन्हें पेंशन के पूर्व नियमों के अधीन, उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से अनुमन्य होगी।

(2) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर 4(3) की द्वितीय पंक्ति में "उपरोक्त व्यवस्था के अधीन" के स्थान पर "उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से" पढ़ा जाये।

(3) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008/303/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर 10 का अन्तिम पंक्ति में "पेंशन को गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जायेगी के स्थान पर पेंशन को गणना हेतु निम्नलिखित धनराशियों को जोड़ा जाएगा", पढ़ा जाए।

(4) कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-10 में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाए

(ग) मूल वेतन के 40 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का फिटमेन्ट लाभ प्रकल्पित रूप से।

(5) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 8 की पाँचवी पंक्ति में ली गयी व्यवस्था को निम्नवत् पढ़ा जाए-

"80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके/प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान उनके 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले संबंधित वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।"

2. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर- 1 (1) की द्वितीय पंक्ति से दिनांक 01-10-2006 के स्थान पर दिनांक 01-01-2006 पढ़ा जाए।

3. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर-5 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम रु. 3500/- प्रतिमाह किये जाने का उल्लेख किया गया है उक्त प्रस्तर की अन्तिम दो पंक्तियों में की गयी व्यवस्था को निम्नवत् पढ़ा जाए।

"जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त है उनके मामलों में उक्त न्यूनतम-सीमा का लाभ सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के योग के रु. 3500/- प्रतिमाह से कम होने पर ही देय होगा।"

4. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर- 5(1) की चौथी पंक्ति में "अधिक" के स्थान पर "कम" पढ़ा जाए और इसी प्रस्तर की पाँचवी पंक्ति में उल्लिखित "केवल अवकाश पेंशन अनुमन्य है" को विलुप्त समझा जाए।



-3-

(5)- पेंशनरों की मौखिक पारिवारिक पेंशनरों को सामानादेश के अनुसार 90 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर आतंरिक पेंशन को सुविधा अनुमति है सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नहीं है अतएव समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के संबंध में अपने विभागध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष का अवगत कराया जायगा। विभागध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से इसका परीक्षण करेंगे। कार्यालय मिलेख यथा सान्त्वय भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नानाजन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पारिवारिक पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही मान्यता प्रदान की जायेगी और तदनुसार तालाबार का उपलब्ध करायेगा। मात्र आयु का उल्लेख होने पर, (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) उस वर्ष की 01 जुलाई को जन्मतिथि माना जायेगा। उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण - पत्र और यदि हाई स्कूल का प्रमाण - पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि हेतु डाइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / निर्वाचन पड़धान पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जायेगी। यदि किसी पारिवारिक पेंशनर के पास उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के सबत आशय का अलग से प्रमाण दिया जाये और ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जन्मतिथि हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा दिया गया आयु प्रमाण - पत्र मान्य होगा। पेंशन प्रपत्रों में पूर्व से ही पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशनर की आयु से अधिक अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जायेगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत कराये जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक पेंशनर की आयु माना जायेगा।

भवदीय,

(नी0एम0ओ0 दोशत)

सचिव, वित्त।

संख्या - सा-3-1541(1)/दस-2008-308/97 टी0सी0, तददिनोंक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1)-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (2)-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियां (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियां) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पांच प्रतियां)

-4/-